रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072026-274067
CG-DL-E-03072026-274067

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3477] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 3, 2026/आषाढ 12, 1948
No. 3477] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 3, 2026/ASHADHA 12, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2026

सं. 24/2026-सीमा शुल्क

का.आ. 3612(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) (इसके बाद सीमा शुल्क अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, एतद्द्वारा अनुसूची-I में निर्दिष्ट वस्तुओं को, जब भारत में आयात किया जाता है, तो उस पर देय सीमा शुल्क के पूरे शुल्क से, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है और पुन: निर्यात और निम्न शर्तों के अधीन उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप-धारा (7) के तहत उस पर लगाए जाने वाले पूरे एकीकृत कर से छूट प्रदान करती -

(1) कि अनुसूची I में निर्दिष्ट वस्तुएं निर्दिष्ट कार्यक्रम में प्रदर्शन या उपयोग के लिए अभिप्रेत है, इसके साथ संलग्न अनुसूची II में निर्दिष्ट प्रारूप में, सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को वस्तु प्रवेश का बिल प्रस्तुत करने के समय आयातक इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करेगा;

(2) आयातक वस्तुओं के मूल्य के बराबर एक बांड निष्पादित करेगा, साथ ही बैंक गारंटी या नकद जमा के बराबर शुल्क का 110% प्रस्तुत करेगा जो वस्तुओं पर देय होगा, लेकिन इसमें निहित निम्न छूट के लिए पात्र होगा:

बशर्ते कि जहां आयात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, भारत में एक राजनयिक मिशन या संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 के तहत अधिसूचित किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा किया जाता है, आयातक को बैंक गारंटी या नकद जमा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) वस्तु को सीमा शुल्क के उपायुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त की अनुमति के बिना, जैसा भी मामला हो कार्यक्रम के स्थान से नहीं हटाया जाएगा;

(4) वस्तु पुन: निर्यात के समय पहचान किए जाने में सक्षम होगी;

(5) आयातक वस्तु की उचित पहचान के लिए प्रक्रिया, जो सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती है, जैसा भी मामला हो का पालन करेगा; तथा

(6) सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 47 के तहत जारी की गई वस्तु की निकासी की अनुमति देने वाले आदेश की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर वस्तु को फिर से निर्यात किया जाएगा:

बशर्ते कि जहां आयात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, भारत में एक राजनयिक मिशन या संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 के तहत अधिसूचित किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा किया जाता है, वहां सीमा शुल्क आयुक्त, इस संबंध में किए गए आवेदन पर, इस अवधि को छह महीने की अवधि के लिए बढ़ा सकता है जिसे सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 47 के तहत जारी आदेश की तारीख से हर बार, लेकिन दो साल से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु यह भी, कि इस अधिसूचना के अधीन आयातित वस्तु को पुन: निर्यात के लिए अनुमत अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी तारीख को घरेलू उपभोग के लिए, ऐसी वस्तु पर लागू किसी भी कानून के अनुसार और सीमा शुल्क के भुगतान पर, लेकिन इस अधिसूचना में निहित छूट के लिए, लागू ब्याज के साथ प्रवेश दिया जा सकेगा जो ऐसी वस्तु के संबंध में देय होगा, ।

2. यह अधिसूचना 15 जुलाई, 2026 से लागू होगी।

अनुसूची – I

वस्तु

यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत भारत में शोज, प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं, प्रदर्शनों, मनोरंजन के सार्वजनिक कार्यक्रमों (जैसे पुलिस कुत्ते, खोजी कुत्ते) या मार्गदर्शक कुत्तों के करतब कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आयात किए गए जानवर।

अनुसूची – II

घोषणा

आईईसी सं. ________ रखने वाले मैं/हम (आयातक का नाम/पता) घोषणा करता हूं/करते हैं कि बिल ऑफ एंट्री सं. ________ के तहत आयातित वस्तुएं/पशु दिनांक _______ (आयोजन स्थल का विवरण) पर दिनांक_____से_______ तक प्रदर्शन या उपयोग के लिए अभिप्रेत हैं।

____
(हस्ताक्षर)

____
(नाम)

____
(पदनाम)

____
(दूरभाष सं.)

____
(ईमेल)

दिनांक:

स्थान:

[फा. सं. 15020/2/2021-आईसीडी-सीबीईसी]

इन्द्रजीत पाण्डा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2026

No. 24/2026-Customs

S.O. 3612(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) (hereinafter referred to as the Customs Act), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in Schedule I annexed hereto, when imported into India, from the whole of the duty of Customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and from the whole of the integrated tax leviable thereon under sub-section (7) of section 3 of the said Customs Tariff Act, 1975 subject to re-export and the conditions that, -

(1) the importer shall submit a declaration to the effect that the goods as specified in Schedule I are intended for display or use in specified event, in the format specified in Schedule II annexed hereto, to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of filing the Bill of Entry;

(2) the importer shall execute a bond equal to the value of the goods along with a bank guarantee or cash deposit equal to 110% of the duty that would be payable on the goods but for the exemption contained herein:

Provided that where the import is by the Central Government, State Government, Union territory Administration, a Diplomatic Mission in India or any of the International organisations notified under section 3 of the

United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), the importer shall not be required to furnish a bank guarantee or cash deposit.

(3) the goods shall not be removed from the place of the event, without the permission of the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be;

(4) the goods shall be capable of identification at the time of re-exportation;

(5) the importer shall follow the procedure for proper identification of the goods, that may be specified by the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be; and

(6) the goods shall be re-exported within a period of six months from the date of order permitting clearance of the goods issued under section 47 of the Customs Act:

Provided that where the import is by the Central Government, State Government, Union territory Administration, a Diplomatic Mission in India or any of the International organisations notified under section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), the Commissioner of Customs may, on an application made in this regard, extend this period for a period of six months, each time, but not exceeding two years from the date of order issued under section 47 of the Customs Act:

Provided further that the goods imported under this notification may on any date before the expiry of the period allowed for re- export, be entered for home consumption, in accordance with any law applicable to such goods and on payment of the duties of customs which would be payable in respect of such goods, but for the exemption contained in this notification, along with the applicable interest.

2. This notification shall come into force on the 15^{th} day of July, 2026.

Schedule – I

Goods

Animals imported for participation in shows, exhibitions, contests, competitions, demonstrations, entertainment, exercise of public functions (such as police dogs, sniffer dogs) or guide dogs into India under the Comprehensive Economic and Trade Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of India.

Schedule – II

Declaration

I/We (Name/Address of Importer) holding IEC No.________declare that the goods imported under Bill of Entry No._________ dated _______are intended for display or use at (particulars of the event) to be held at (details of venue) from_____to _______.

____

(Signature)

____

(Name)

____

(Designation)

____

(Telephone No.)

____

(Email)

Date:

Place:

[F. No. 15020/2/2021-ICD-CBEC]

INDRAJIT PANDA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA